दैनिक भास्कर
बिलासपुर 14-08-2025

इंजीनियर भर्ती में एसटी महिला अभ्यर्थी का नाम हटाया, नोटिस

पीएचई में हो रही है भर्ती, राज्य सरकार ने मांगा समय

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

सब इंजीनियर (सिविल) भर्ती में अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी का नाम अंतिम समय पर दस्तावेज सत्यापन सूची से हटाने पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को अपने अधीन रखते हुए राज्य सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग और पीएचई सचिव से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

रश्मि वाकरे ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से याचिका लगाई है, इसमें बताया कि पीएचई ने मार्च 2025 में 118 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। पहली काउंसिलिंग सूची में उनका नाम एसटी (महिला) वर्ग में था और 10 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। लेकिन 16 जुलाई को जारी संशोधित सूची में उनका नाम हटा दिया गया और सत्यापन से वंचित कर दिया गया। कहा कि पीएचई के अफसर आरक्षण रोस्टर के साथ ही हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मार्च 2025 के विज्ञापन में 102 पदों में 52 अनारक्षित, 15 एससी, 20 एसटी और 15% ओबीसी के लिए आरक्षित रखे गए, जबकि 3 मई 2023 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र और 29 नवंबर 2012 के आरक्षण संशोधन में एसटी के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है। यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण रोस्टर और कोर्ट के निर्देशों के पालन का आदेश दिया था। इसके बावजूद पीएचई अफसर अपने नियम लागू कर रहे हैं, जिससे वह एक सुनहरे अवसर से वंचित हो गईं।